

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

आदेश:-बै०शि०/शि०सहा०/मान्यता/Ex-102/2017-18

दिनांक 28/3/18

सेवा में,

प्रबन्धक, उलौल पालिमे स्कूल,
कोटा, कुत्तावली (छत्तीसगढ़)

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31/7/17 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं उलौल पालिमे स्कूल, कोटा, कुत्तावली (छत्तीसगढ़) का तारीख 23/3/2018 से दिनांक 23/3/2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा- 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के ...25.....प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरित्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- (1). प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2). किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3). प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4). प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (5). अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6). अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ, अर्जित करें।
 - (7). अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8). अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डारागार के लिए कक्षः—
बालक, और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाये जायेगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा संपर्कित की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याकां.....इतना है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
 17. सलग्न उपांबध के अनुसार अन्य कोई शर्त। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- ८१००-७ स्कूल (भौम)
 - १७४०-७ " "
 - पर्सिपुर्ट
 - १५-श्रावण काल-उपलब्धता
 - पर्सिपुर्ट
 - "
 - "
 - "

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

पृष्ठां:- बै०शि०/शि०सहा०/मान्यता/

/2017-18 दिनांक-उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद

पंत्राक—शि०सहा०/मान्यता/ ENPS-719/2021 /2021-22 दिनांक ३१-३-२१
प्रबन्धक

उल्लेख विवरण कृत
काठे (४५), कुचावला (गुरुवारी)

आपके विद्यालय का पूर्व में शासनादेश संख्या—437/19-6-2011 दिनांक 19 मई 2011
के अन्तर्गत अग्रेजी माध्यम की मान्यता इस कार्यालय के पंत्राक शि०सहा०/मान्यता/ ENPS—
482/2018/2017-18

दिनांक २८-३-१८ के द्वारा विद्यालय को तीन वर्ष के लिये मान्यता प्रदान की गई¹
थी। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 के लागू होने के उपरान्त विद्यालयों को मान्यता दिये
जाने संबंधित संशोधित मानक व शर्तों के अनुसार औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दिये जाने
का प्राविधान है। शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 में
दिये गये मानकों एंव शर्तों के नियम—15 में प्राविधित है कि "अौपचारिक मान्यता अवधि में
मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो
तीन वर्षों की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त
हो गयी है।"

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद

प०सं०—शि०सहा०/ /2021-22 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की सेवा में
सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद